प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 119939/ 117016

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (जबलपुर), मध्यप्रदेश

स्कूल: ST JOSEPHS CONVENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, SADAR

मान्यता का प्रकार - मान्यता नवीनीकरण / नवीन मान्यता

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.04.19 18:19:44 +05:30
Reason: Issued By: deo jabalpur

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक (ST JOSEPHS CONVENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, SADAR)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - ST JOSEPHS CONVENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, SADAR डाइस कोड - 23390000061 स्कूल क्रमांक - PS 117016 को कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्दता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उतीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरदृष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

Manager Principal
St. Joseph's Convent Girls' Senior Secondary School Jabalpur (M.P.)